उत्तराखण्ड शासन

ईमेल आई0डी0– info@ukmc.in
दूरभाष/फैक्स नं0 0135–2781201

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

सरदार इकबाल सिंह, मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 12.08.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित निगम की ऋण योजनाओं तथा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त–

दिनांक 12.08.2021, को आहूत बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा शिक्षा विभाग के अधिकरियों की उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

बैठक में सर्वप्रथम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ करते हुए उपस्थित समस्त विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कुल सचिव, कुमांऊ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि एवं मुख्य शिक्षा अधिकारियों व उनके प्रतिनिधियों एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकरियों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की गयीः–

बैठक में उपस्थित श्री रमेश लाल टम्टा, विधि अधिकारी/नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है, जिसमें क्रमशः कक्षा–1 से कक्षा–10 तक अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं हेतु प्री–मैट्रिक योजना, जिसमें अभिभावकों की आय रू0 1.00 लाख, कक्षा–11 से स्नाकोत्तर तक अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं हेतु पोस्ट–मैट्रिक योजना, जिसमें अभिभावकों की आय रू0 2.00 लाख, तथा टेक्निकल कोर्स हेतु मेरिट–कम–मीन्स, जिसमें अभिभावकों की आय रू0 2.50 लाख का प्राविधान है, संचालित है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी प्री–मैट्रिक योजना जो कक्षा–1 से कक्षा–5 रू0 50/– प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु, कक्षा–6 से कक्षा–8 तक रू0 80/–प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु तथा कक्षा–9 से कक्षा–10 तक रू0 120 प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें अभिभावकों की आय केन्द्र सरकार की भांति रू0 1.00 लाख का प्रावधान है।

पिछले 3 वर्षों में भारत सरकार द्वारा उपरोक्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा लाभार्थी के खातों में भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एन.एस.पी.–2.0 (NSP 2.0) के माध्यम से सीधे खातों में हस्तान्तरित की गयी है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

प्री–मेट्रिक छात्रवृत्तिः–

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य	कुल लाभान्वित छात्र	कुल धनराशि (धनराशि करोड़ में)
1.	2018–19	21874	21268	8.37
2.	2019–20	21874	30194	14.0
3.	2020–21	21874	18409	7.34

पोस्ट–मेट्रिक छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य	कुल लाभान्वित छात्र	कुल धनराशि (धनराशि करोड़ में)
1.	2018–19	3646	2830	2.3
2.	2019–20	3646	4520	3.43
3.	2020–21	3646	4604	3.35

मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य	कुल लाभान्वित छात्र	कुल धनराशि (धनराशि करोड़ में)
1.	2018–19	438	524	1.37
2.	2019–20	438	466	1.25
3.	2020–21	438	492	1.39

बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि प्री–मैट्रिक राज्य पोषित छात्रवृत्ति की धनराशि अति न्यून है, जिससे छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन नहीं किया जा रहा है तथा आय प्रमाण–पत्र भी सरलता से प्राप्त नहीं होता है। इस सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा सुझाव दिया गया कि केन्द्र सरकार की छात्रवृत्ति की दर के बराबर राज्य सरकार भी पात्र छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृत करें तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की भांति आय प्रमाण–पत्र की बद्धता समाप्त की जाय। इस सम्बन्ध में निदेशक, अल्पसंख्यक

कल्याण प्रस्ताव तैयार कर प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित कर मा0 आयोग को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। साथ ही आयोग स्तर से भी उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम–2002 में सुसंगत प्रावधान के अनुसार शासन को सुझाव/सिफारिश की जाय।

(कार्यवाहीः–प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0शा0/निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/सचिव, अल्पसंख्यक आयोग)

बैठक में निर्देशित किया गया कि छात्रवृत्ति की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व संबंधित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी 15 दिन के अन्दर अपनी अध्यक्षता में एक बैठक आहूत करें, जिसमें जिला समाज/अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/उपशिक्षा अधिकारी भी सदस्य के रूप में अवश्य सम्मिलित हो। तद्पश्चात् विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में भी बैठक आहूत की जाय, जिसमें उपखण्ड शिक्षा अधिकारी, सहायक समाज/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं विकासखण्ड के अन्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को बैठक में आमन्त्रित करते हुए शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं की सूची उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का प्रचार–प्रसार कराते हुए शत्प्रतिशत् पात्र छात्र/छात्राओं का ऑनलाईन आवेदन कराते हुए अपने स्तर से आवेदन पत्र को सत्यापित कर निदेशालय को अग्रसारित करें। साथ ही समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को यह भी निर्देश दिये जाते है कि वह अपने–अपने जनपदों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हेतु एक नोडल अधिकारी को नामित कर, उसकी सूचना निदेशालय सहित मा0 आयोग को 15 दिन अन्दर उपलब्ध करायें, तत्पश्चात् निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नामित नोडल अधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर अल्पसख्यक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को ऑनलाईन किये जाने सम्बन्धी जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः–निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/समस्त जिला समाज/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी)

बैठक के दौरान यह भी तथ्य संज्ञान में आया कि जनपदों में अल्पसंख्यक समुदाय के वर्गीकरण में संशय उत्पन्न हो रहा है, जिससे छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही किये जाने में असुविधा हो रही है। इस सम्बन्ध में सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के अधिसूचना के अनुसार मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बोद्ध व पारसी छः समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, उक्तानुसार ही अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति व अन्य योजनाएं में स्वघोषित अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र के अनुसार योजना से लाभान्वित किया जाना है।

(कार्यवाहीः– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/समस्त जिला समाज/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड)

<u>मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजनाः–</u>इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी बालिकाएं लाभान्वित की जायेगी, जिन्होंने उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा/मुन्शी, मौलवी तथा आलिम में 60 प्रतिशत से अधिक अंक से उत्तीर्ण की है तथा अभिभावकों की ग्रामीण क्षेत्र में रू0 81,000 (रूपये इक्यासी हजार) आय तथा शहरी क्षेत्र में रू0 1,03 लाख (रूपये एक लाख तीन हजार) तो निम्न वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

परीक्षा का स्तर	60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि रू0 में	70 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि रू0 में	80 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर देय धनराशि रू0 में
हाईस्कूल या मुंशी या मौलवी	10,000	15,000	20,000
इण्टरमीडिएट या आलिम	15,000	20,000	25,000

इस योजना में निदेशालय स्तर से विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है, इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों एवं जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने–अपने जनपदों में उक्त योजना का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करते हुए अन्तिम तिथि से पूर्व अधिक मात्रा में आवेदन पत्र भरवाते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/समस्त जिला समाज/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड)

<u>अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की योजनाः–</u> वर्तमान में अल्पसख्यक स्वरोजगार योजना, मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाईनेन्स फाउण्डेशन योजना, मुख्यमंत्री हुनर योजना संचालित है।

<u>अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजनाः–</u>इस योजना के अन्तर्गत रू0 20 हजार से रू0 10.00 लाख तक का ऋण योजना राष्ट्रीयकृत बैंको/सहकारो बैंको/ग्रामीण बैंको के माध्यम से दिया जाता है। जिसमें योजना का 60 प्रतिशत बैंक ऋण व 25 प्रतिशत अनुदान निगम द्वारा दिया जाता है, शेष 15 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। लाभार्थी का चयन जिला स्तर पर चयन समिति के माध्यम से किया जाता है। योजना हेतु पात्र अभ्यार्थी की उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में जनपदों में समीक्षा की गयी, जिसमें चम्पावत में 7 लक्ष्य के सापेक्ष–5 आवेदन, पिथौरागढ़ में 7 लक्ष्य के

सापेक्ष–4 आवेदन, जनपद चमोली में 5 लक्ष्य के सापेक्ष–1 आवेदन, जनपद अल्मोडा में 5 लक्ष्य के सापेक्ष–4 आवेदन, जनपद नैनीताल में 25 लक्ष्य के सापेक्ष–3 आवेदन, जनपद ऊधमसिंहनगर में 25 लक्ष्य के सापेक्ष–35 आवेदन, जनपद हरिद्वार में 25 लक्ष्य के सापेक्ष–70 आवेदन, जनपद देहरादून में 25 के सापेक्ष–34 आवेदन, जनपद रूद्रप्रयाग में 5 लक्ष्य के सापेक्ष–3 आवेदन, जनपद पौड़ी गढ़वाल में 11 लक्ष्य के सापेक्ष–1 आवेदन प्राप्त हुए है। जनपद बागेश्वर तथा उत्तरकाशी से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं है, जिससे जनपद की समीक्षा नहीं हो पायी। जनपद देहरादून, ऊधमसिंहनगर व हरिद्वार को छोड़कर अन्य जनपदों में लक्ष्य के सापेक्ष अतिन्यून आवेदन प्राप्त हुए है। इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी निगम की योजनाओं में कोई रूचि नहीं ले रहे है। श्री वाई.एस.राणा, उपमहाप्रबन्धक, वक्फ विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि निगम के कार्यों हेतु प्रत्येक जनपदों में एक–एक कार्मिक तथा कम्प्यूटर भी उपलब्ध कराया गया है, किन्तु उसके उपरान्त भी निगम की योजनाओं में प्रगति शून्य है तथा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, जबकि सरकार द्वारा निगम की योजनाओं में पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। उक्त योजना में अन्तिम तिथि 15 अगस्त, 2021 है, जिस तिथि तक शतप्रतिशत् पूर्ण किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उपस्थित समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के सापेक्ष शत्प्रतिशत् लाभार्थियों को लाभ प्रदान कराते हुए निगम मुख्यालय एवं मा0 आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि इस कार्य में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया जाता है, तो सम्बंधित जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(कार्यवाही समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड)

<u>मुख्यमंत्री हुनर योजनाः–</u> इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षार्थियों की आयु 18–45 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षार्थी की शैक्षिक योग्यता पारम्परिक प्रशिक्षण हेतु कम से कम पांचवी/साक्षर होना चाहिए। प्रार्थी की शिक्षा राजकीय स्कूलों से हुई तो अथवा मदरसों से दोनों मान्य होगी। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवसायों के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 3,50,000 एवं शहरी क्षेत्र में रू0 4,50,000 तक होनी चाहिए। प्रार्थी उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के समानुसार छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इस सम्बन्ध में उप महाप्रबन्धक, वक्फ विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि एन.जी.ओ. के माध्यम से लाभार्थी का चयन किया जाता है, जिन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाती है। यह कौशल विकास योजना के अन्तर्गत है, जिसमें विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे लाभार्थी अपना स्वयं का रोजगार कर सकता है। वर्तमान में संबंधित एन.जी.ओ. के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। तत्पश्चात् योजना को लाभार्थी तक पहुंचाया जायेगा। इस सम्बन्ध में समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि एन.जी.ओ. के चयन होने पर नियमानुसार लाभार्थियों का चयन करते हुए यथासमय योजना का लाभ जरूरतमंदो को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड)

<u>मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजनाः–</u> इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के गरीब अल्पसख्यक छात्र/छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण अधिकतम रू0 5.00 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया है। जिसकी वापसी सेवा नियोजित होने या शिक्षा पूर्ण होने के 6 माह के उपरान्त से अगले तीन वर्षों में (36 किस्तों में) की जायेगी। पात्रता–अभ्यार्थी 12वीं उर्त्तीण हो, आयु सीमा 18–35 वर्ष होनी चाहिए, परिवार की आय रू0 2,50,000 लाख से अधिक न हो। वर्तमान में व्यवसायिक कोर्स की संस्थाएं में प्रवेश प्रक्रिया गतिमान है। इस संबंध में आवेदन के पात्र होने पर तत्काल लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाय।

(कार्यवाही प्रबन्ध निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम/समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड)

उपमहाप्रबन्धक, वक्फ विकास निगम द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में निगम द्वारा जो ऋण वितरण किया गया, उसकी वसूली जनपदों में अतिन्यून है। यदि वसूली समय पर नहीं होती है, आगमी वर्षों में लाभार्थियों की संख्या भी न्यून होगी। जबकि उनके द्वारा जिला स्तर पर एक–एक कार्मिक भी तैनात किया जा चुका है, इसके पश्चात् भी वसूली की अच्छी प्रगति नहीं है। वर्तमान में जनपदों में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है। इनके माध्यम से भी योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाय तथा निगम कार्मिकों के साथ सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भी बकायादारों की सूची व रसीद पंजिका उपलब्ध कराते हुए इनके माध्यम से अधिक से अधिक वसूली कराना सुनिश्चित किया जाय। प्रबन्ध निदेशक, वक्फ विकास निगम को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह निगम की योजनाओं एवं वसूली की समीक्षा बैठक करते हुए प्रगति से मा0 आयोग को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही प्रबन्ध निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम/समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड)

अन्त में बैठक में शिक्षा विभाग के सभी प्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित छात्रवृत्ति पूर्वदशम् राज्य एवं भारत सरकार से छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु विशेष रूप से शिक्षण संस्थाओं में प्रचार-प्रसार करते हुए योजना से शत्प्रतिशत् लाभान्वित कर निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साथ-साथ मा0 आयोग को अवगत कराया जाय, क्योंकि इस योजना के लाभान्वित छात्र/छात्राएं परिपक्व नहीं होते है। इसके साथ ही समस्त उपस्थितगणों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक सधन्यवाद समाप्त की जाती है।

(सरदार इकबाल सिंह)
उपाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।

कार्यालय-उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून

पत्रांक 314 /उ0अ0स0/बैठक-कार्यवृत्त/2021-22 दिनांक 10 अगस्त, 2021

प्रतिलिपिः- **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
8. कुल सचिव, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमांऊ यूनिवर्सिटी/श्रीदेव सुमन/यू.टी.यू।
9. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी-नैनीताल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. कार्यालय पत्रावली।

उपाध्यक्ष
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।